

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 163/2024
ऑनलाईन नम्बर 2024/343

निर्णय दिनांक: 27.03.2025

मुकेश कुमार पुत्र दुलाराम जाति प्रजापत निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. नानूदेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थिति:—

1. श्री पूनमचन्द मारु अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री बृजलाल बारोटिया अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआर एक्ट


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी निम्नानुसार निवेदन करता है कि गांव मोमासर की रोही में आबादी व सड़क के पास अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1987/944 तादादी 2.7800 हैक्टेयर भूमि स्थित है। इस भूमि में से प्रार्थी ने जरिये विक्रय पत्र 0.1338 हैक्टेय भूमि खरीद की, जिसके खसरा नम्बर 2568/1987 कायम हुये और अप्रार्थी संख्या 1 के नाम शेष भूमि के खसरा नम्बर 2569/1987 कायम हुये। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से जमीन खरीद करने के बाद मौके पर 60X240 फुट जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। प्रार्थी का खसरा नम्बर 1987/944 में पश्चिमी तरफ की 120 फुट जमीन छोड़कर 60X240 फुट पर कब्जा, उपयोग—उपभोग है। प्रार्थी ने मूल खसरा नम्बर 1987/944 के पश्चिमी तरफ की 120 फुट जमीन छोड़कर उतरी तरफ की 60X240 फुट जमीन खरीद की प्रार्थी का 240 फुट चौड़ाई 60 फुट लम्बाई पर कब्जा, उपयोग—उपभोग चला आ रहा है, परन्तु नक्शा तरमीम करते समय खसरा नम्बर 1987/944 की उतरी तरफ की जमीन खसरा नम्बर 2568/1987 के रूप में तरमीम कर दी गई यानि खसरा नम्बर 2569/1987 के सम्पूर्ण के उत्तर में खसरा नम्बर 2568/1987 कायम कर दिया गया जो मौका स्थिति के विपरित है, मौके पर खसरा नम्बर 2568/1987 खसरा नम्बर 2569/1987 के पश्चिमी तरफ की 120 फुट जमीन छोड़कर 240 फुट चौड़ाई 60 फुट लम्बाई में उतर—पश्चिम में स्थित है, इसी अनुसार नक्शा में तरमीम किया जाना चाहिये। नक्शा में

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)




खसरा नम्बर 2568/1987 की तरमीम मौका रिथति के विपरित है। खसरा नम्बर 2568/1987 की तरमीम सही नहीं होने से प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। मौका से नक्शा मेल नहीं खा रहा है, जिससे प्रार्थी किसी भी सरकारी योजनाओ का लाभ नहीं ले पा रहा है, ही अपनी जमीन का भू-रूपान्तरण ही करवा पा रहा है। खसरा नम्बर 2568/1987 वर्तमान नक्शा के अनुसार सम्पूर्ण खसरा सड़क के चिपते नक्शा अनुसार हो गया है। रेकार्ड में दर्शित नक्शा के अनुसार तो खसरा नम्बर 2569/1987 के उतर में स्थित सड़क इस खसरा नम्बर 2569/1987 के लगती ही नहीं है, जबकि खसरा नम्बर 2569/1987 के उतर-पश्चिमी कोने पर 120 फुट पर सड़क लगती है तथा 120 फुट पश्चिमी तरफ की छोड़कर 240 फुट चौड़ाई व 60 फुट लम्बाई को छोड़कर खसरा नम्बर 2569/1987 के सड़क लगती है। समझाईश हेतु रिकार्ड व मौका अनुसार नक्शा निम्न प्रकार से है -

वर्तमान रिकार्ड अनुसार



मौका अनुसार



प्रार्थी ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार कब्जा को दुरुस्त करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 से निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 2 नक्शा दुरुस्त करने से इन्कार हो गये तो मजबूर होकर प्रार्थी को न्यायालय में नक्शा दुरुस्त करने हेतु आना पड़ा है। अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 31.07.2024 को इन्कार कर दिया, यही प्रार्थना पत्र का हेतु है। प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थना पत्र हर तरह से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि रोही मोमासर मे स्थित मूल खसरा नम्बर 1987/944 के नक्शा में पश्चिमी तरफ की 120 फुट जगह छोड़कर इस खसरा के उतर में 240 फुट चौड़ाई व 60 फुट लम्बाई में प्रार्थी को बिक्रित 0.1338 हैक्टेयर भूमि का नक्शा तरमीम कर खसरा नम्बर 2568/1987 कायम किया जाने तथा इस खसरा नम्बर 2568/1987 के पश्चिम तरफ 120 फुट तक व दक्षिण, पूर्व में खसरा नम्बर 2569/1987 नक्शा में कायम किया जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 2 को दिया जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीङ्गरगढ (बीकानेर)



प्रार्थना पत्र पेश किया गया। स्टेट की ओर से पैराकारराज द्वारा उपरिथत होकर जवाब पेश किया गया। बहस उभपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में अप्रार्थीगण को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

रोही ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के खेत खसरा नम्बर 1987/944 मूल वर्तमान खसरा नम्बर 2568/1987 तादादी 0.1338 की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार कर राजस्व रिकार्ड दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार पालना सुनिश्चित करे।

आदेश आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वाद निर्णय दायर रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।



उमा मित्तल
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बोकारो)
श्रीडूंगरगढ़

मोका अड्डा

